

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत मुकाम

..... सुल्तान बनाम मालाराम पर्मिठ

किस्म मुकदमा नम्बर 111 वर्ष 2014

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
------------	-----------------------------------	---

पत्रावली पेश हुई। अधिभाषक सब ने आज अदालती कार्य का स्थगन कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 13/04/25 को पेश हो।

31/4/25

पत्रावली पेश हुई। अधिभाषक सब ने आज अदालती कार्य का स्थगन कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 15/04/25 को पेश हो।

15/04/25

बल्लुलाम उपाधी वकील जार्जी ने डा. पत्रा पेश कर निवेदन किया कि उपाधी सं. 3 का फेदान्त हो गया जो सखिवाहित या इतः सजावली सं. 3 का नाम हजर फलाने नी कृपा करें। वकील जार्जी का डा. पत्र न्यायहित में हवीकाट किया जाना उपाधी सं. 3 का नाम डा. पत्र नं. 2. से लाल लखी से हजर किया जाता है। वास्ते बहस मिलत दिनांक 13/05/25 को पेश हो।

पत्रावली पेश हुई। अधिभाषक सब ने आज अदालती कार्य का स्थगन कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 14/7/25 को पेश हो।

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित।
P. S. साहब दीगर कार्य में बस्थ है।
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 12/8/25
को पेश हो।

12/8/2025

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। चूंकि मूल वादपत्र में प्राथमिक डिक्री पूर्व में जारी की जा चुकी हैं। पक्षकारान के हक-अधिकारों का निर्धारण मूल वादपत्र में गुणावगुण के आधार पर किया जाना है। अतः तादौराने फैसल वाद अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी ख0 नं0 1391 रकबा 2.52 है0 तन ग्राम सिरोही तहसील नीमकाथाना के राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया।



(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
नीमकाथाना